न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 89/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 22 अक्टूबर-2024 को पारित)

22/10/2024

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम कण्डारी तहसील बडौद की कुल भूमि **109.8400** हेक्टेयर भूमि में से **72.54** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम कण्डारी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	107 / 2	15.920	9.37
2	71	29.470	19.18
3	105	17.700	12.38
4	75	15.470	13.31
5	107 / 1	10.280	4.52
6	102	21.00	13.78
	कुल किता 6	**109.84 हेक्टेयर**	**72.54 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/129 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को पत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।संबंधित विभाग अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 100/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 , म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/40 दिनांक 15.04.2024 , अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/638 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 हे. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 हे., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा असहमति दी गई है। पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. की भूमि की नोईयत पठार दर्ज है। ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 69.38 हे. दर्ज है। आवेदित

भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 72.54 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम बीजानगरी की सिंचित भूमि 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 12,99,91,680/- (बारह करोड़ निन्यानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) होना लेख किया गया है। नायब तहसीलदार ने ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे.कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि आवंटन की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 12,99,91,680/- (बारह करोड़ निन्यानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-lim 22/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/377
प्रतिलिपि :-

आगर मालवा, दिनांक 22/10/2024

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-lim 22/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394014 81RADRD8S6LPH0	71/1 (S)		19.1800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि	
	वर्ष: 2025-26	दिनांक: 16-04-2025 13:47:38

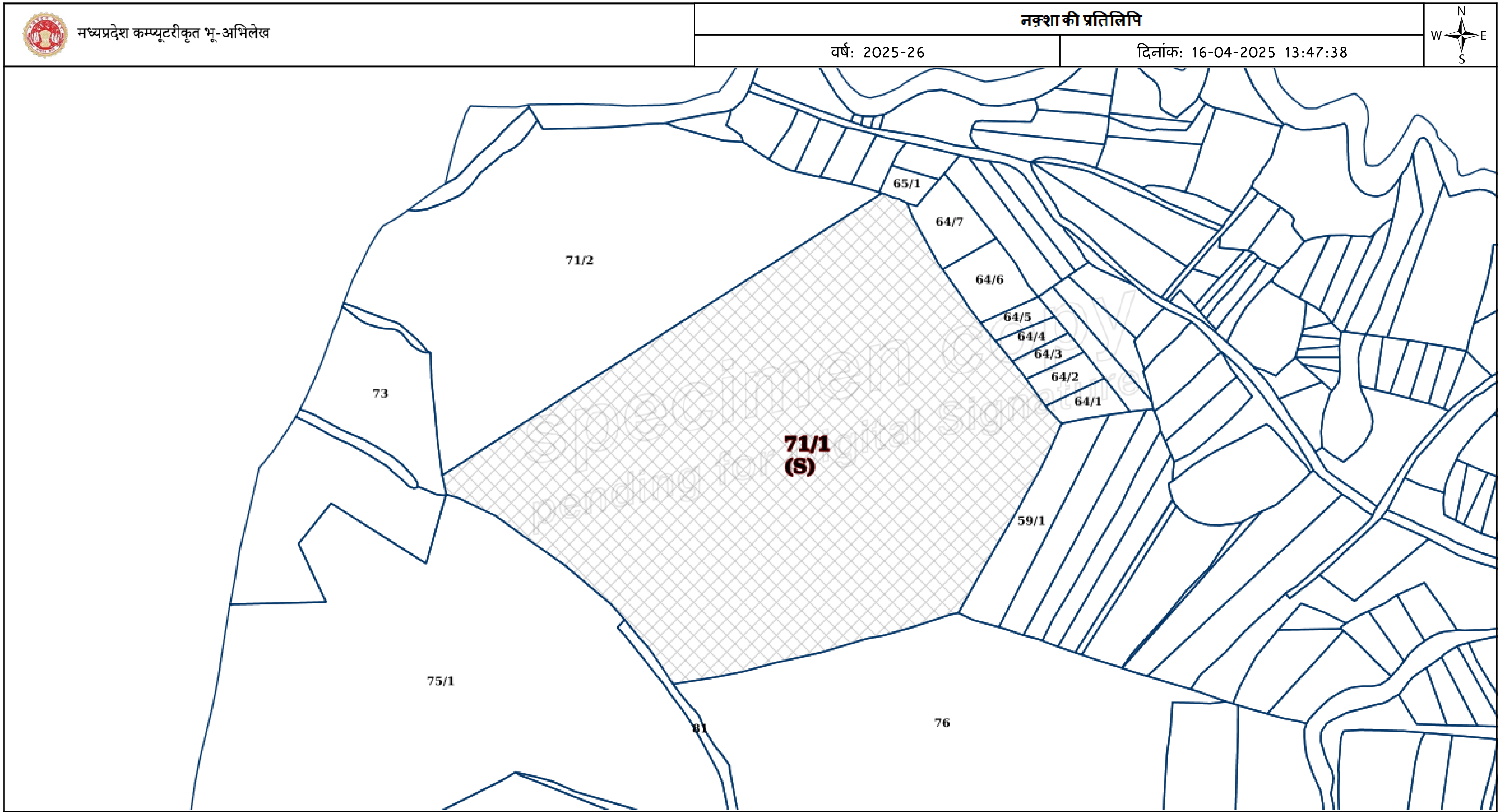

ब्लॉक सं.:	ग्राम:कण्डारी	हल्का:बीजानगरी	तहसील: बड़ौद	जिला:आगर-मालवा

सर्वेक्षण सं.: 71/1(S)	क्षेत्रफल:19.1800(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रपत्र एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394003 81R81ED8S36NH0	75/1 (S)		13.3100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-26	दिनांक : 16-04-2025 13:48:31	N W E S

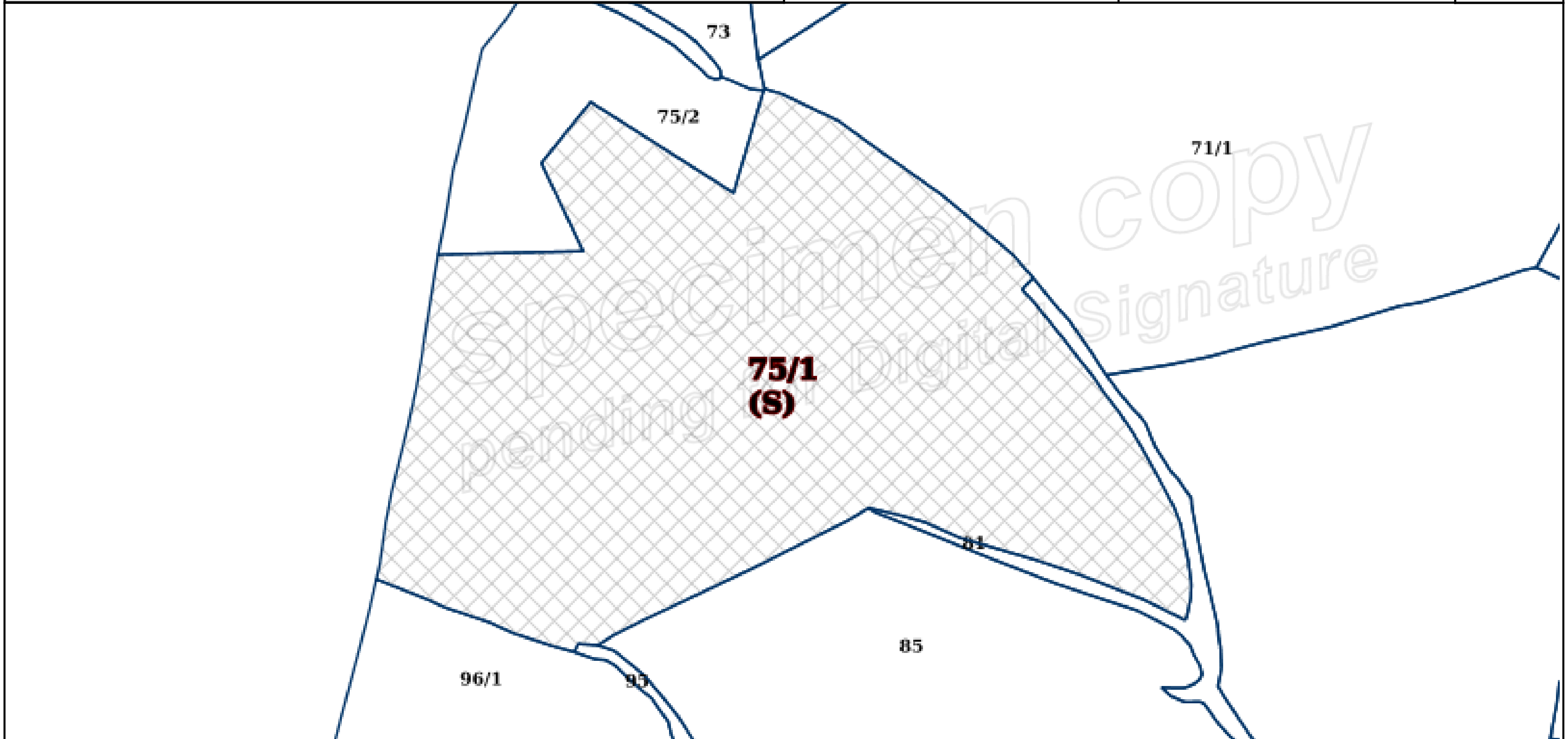

specimen copy
pending digital signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:कण्डारी	हल्का:बीजानगरी	तहसील:बड़ौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 75/1(S)	क्षेत्रफल:13.3100(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी स्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394058 81QU3YD8S1ATH0	102/1 (S)		13.7800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि		N W E S
	वर्ष: 2025-26	दिनांक : 16-04-2025 13:50:09	

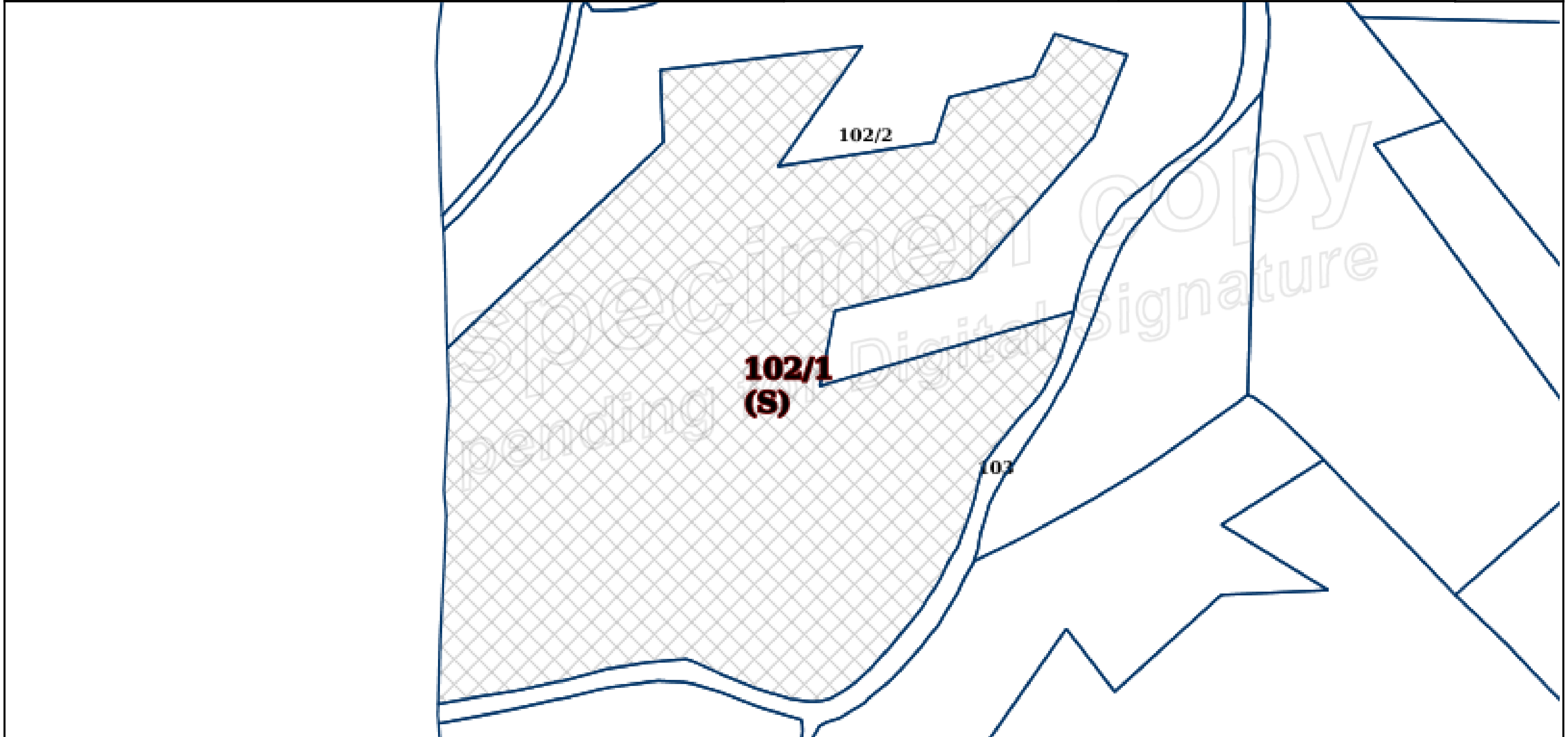

ब्लॉक सं.:	ग्राम:कण्डारी	हल्का:बीजानगरी	तहसील:बड़ौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 102/1(S)	क्षेत्रफल:13.7800(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी स्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394036 81QRLKD8S61EH0	105/1 (S)		12.3800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	नक़्शा की प्रतिलिपि		N W E S
	वर्ष: 2025-26	दिनांक : 16-04-2025 13:51:05	

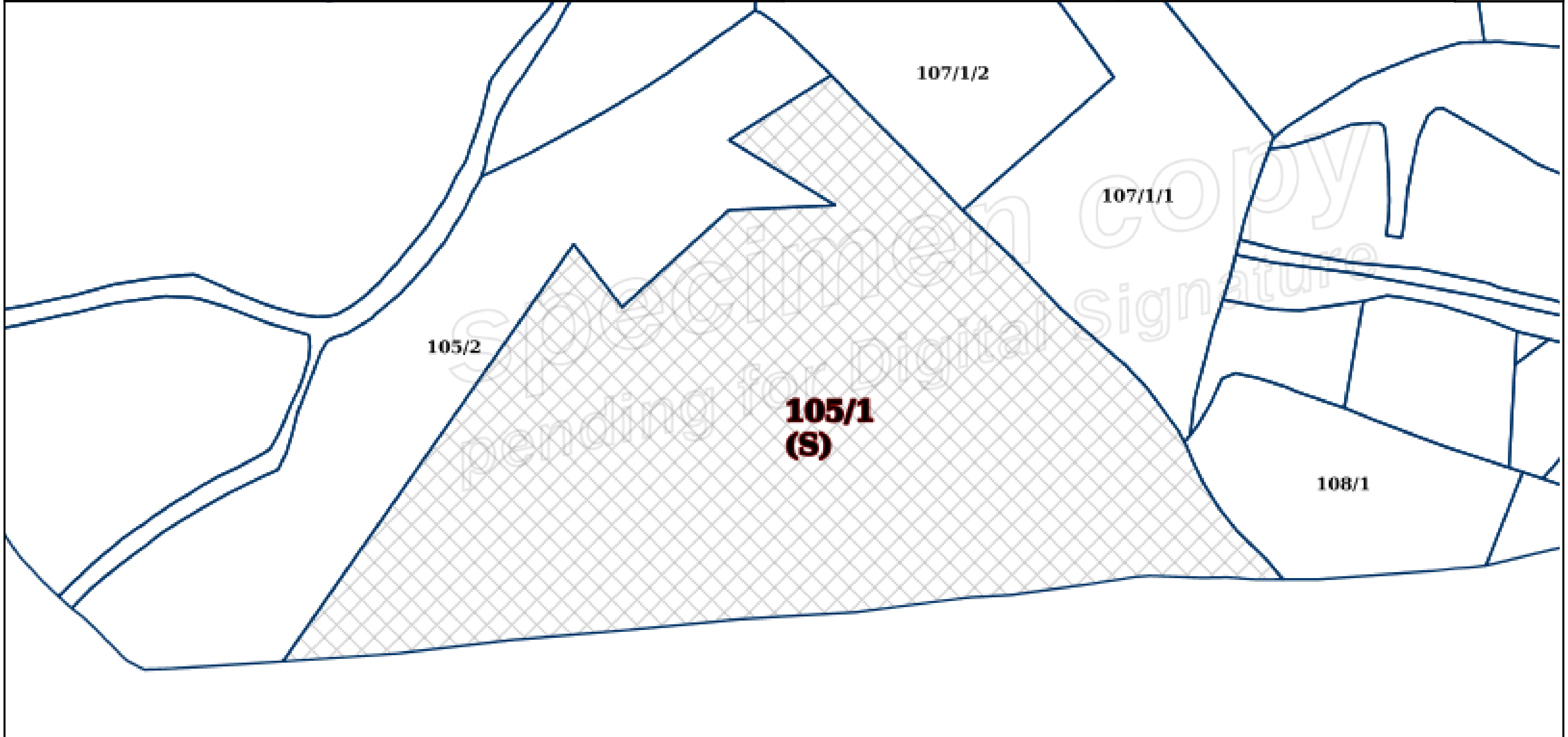

Specimen copy pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.:	ग्राम:कण्डारी	हल्का:बीजानगरी	तहसील:बड़ौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 105/1(S)	क्षेत्रफल:12.3800(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394071 81QTGMD8S8ECH0	107/1/1 (S)		4.5200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-26 | दिनांक: 16-04-2025 13:51:57

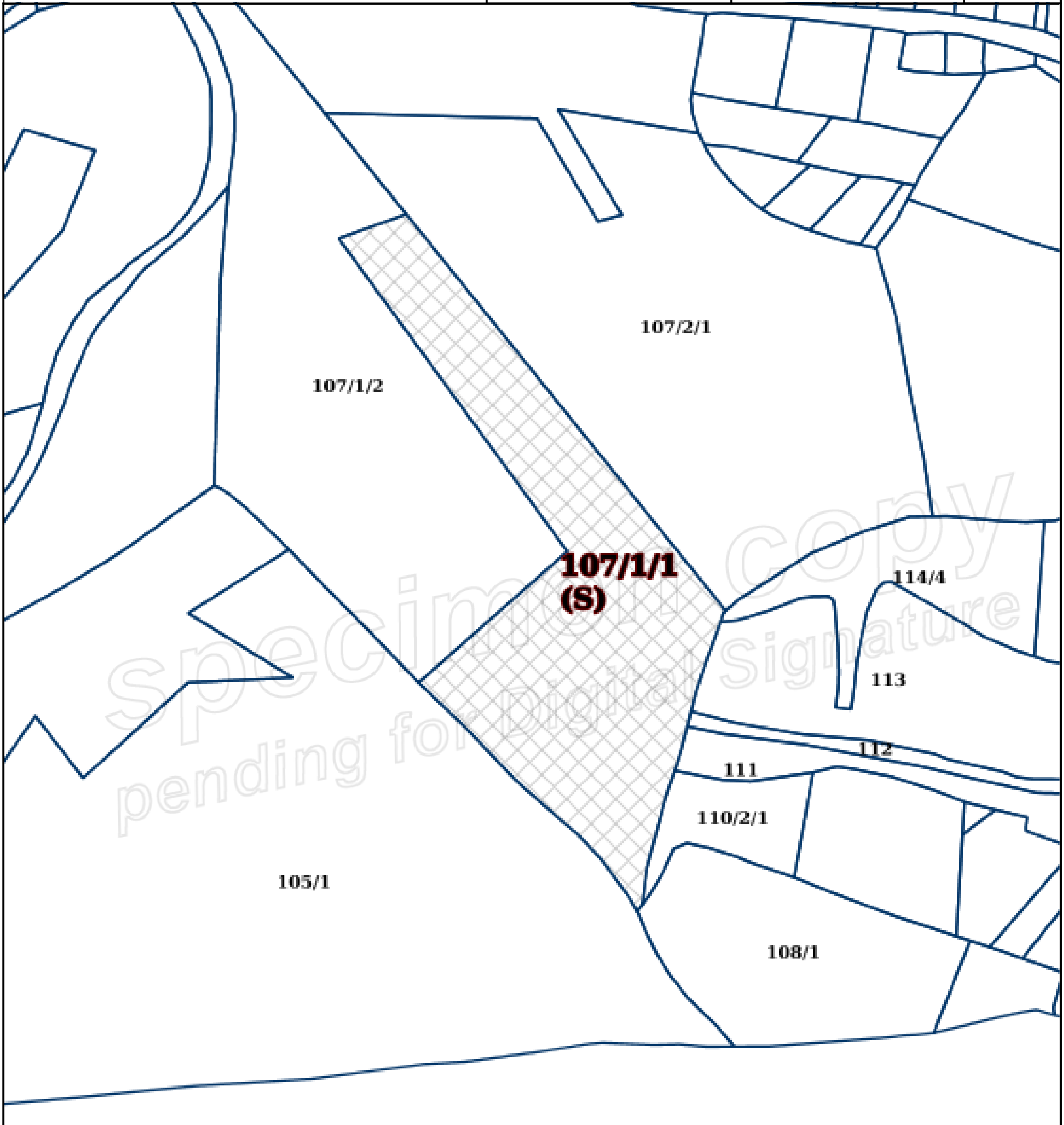

specimen copy
pending for Digital Signature

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	कण्डारी	बीजानगरी	बड़ौद	आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
107/1/1(S)	4.5200(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394115 81QUQPD8S92CH0	107/2/1 (S)		9.3700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	**नक़्शा की प्रतिलिपि**	N W E S
	वर्ष: 2025-26 / दिनांक : 16-04-2025 13:54:48	

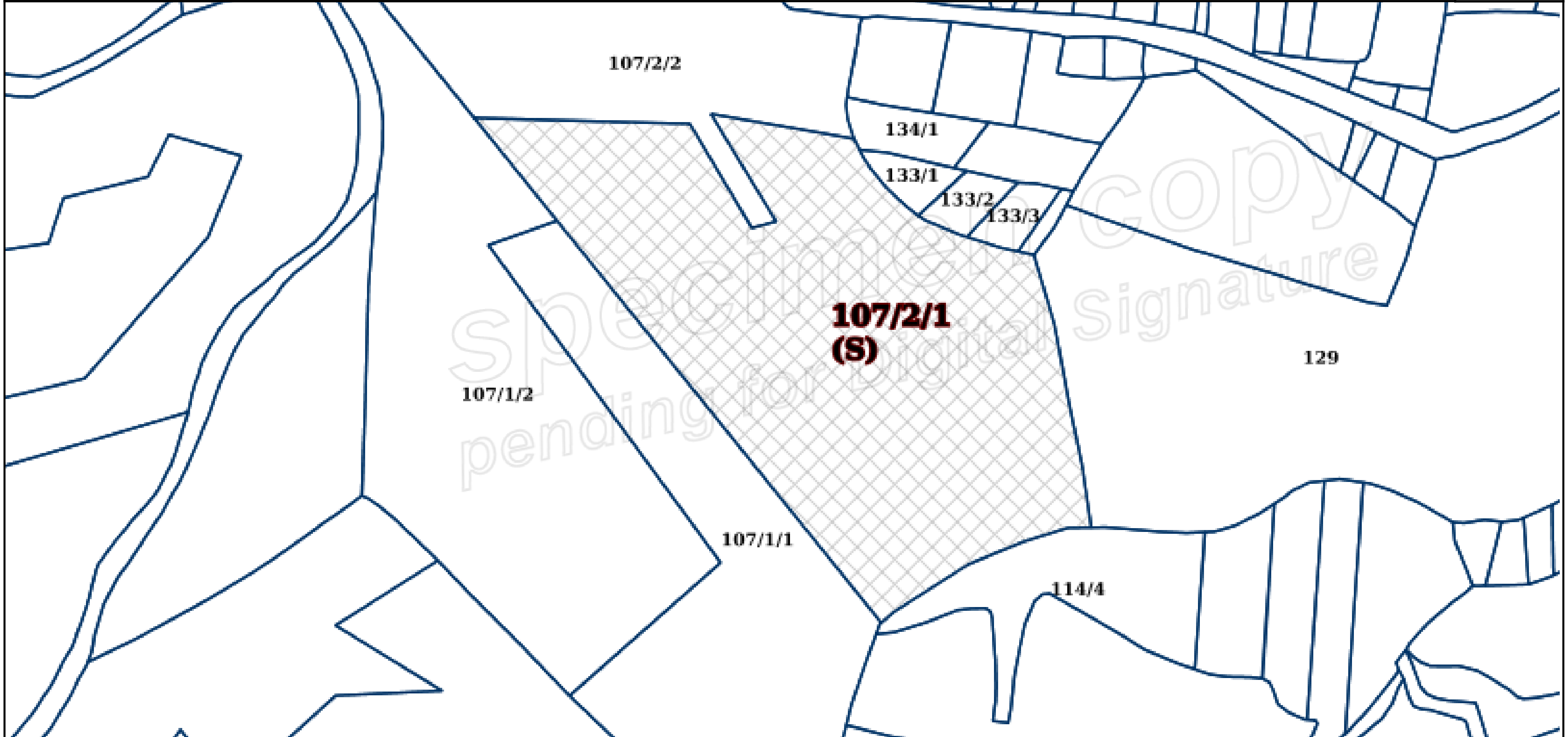

ब्लॉक सं.:	ग्राम:कण्डारी	हल्का:बीजानगरी	तहसील:बड़ौद	जिला:आगर-मालवा
सर्वेक्षण सं.: 107/2/1(S)	क्षेत्रफल:9.3700(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |